न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 43/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 10.02.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/43

रूकमणी पत्नि भैरूलाल सुथार, आयु वयस्क, निवासी आरणी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सम्मन टू भूमिधारी तहसीलदार राशमी, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार राशमी प्रकरण संख्या 117/2021 निर्णय दिनांक 24.09.2021

उपस्थितिः–1– श्री बसन्ती लाल पोखरना, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2021 के द्वारा अपीलांट को ग्राम आरणी, तहसील राशमी की आराजी नम्बर 2247 रकबा 0.2509 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए बेदखली एवं लगान 2.00 रू. का पचास गुणा 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, राशमी से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील राशमी के ग्राम आरणी की आराजी नम्बर 2247 रकबा 0.2509 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं जुर्माने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया और जो आदेश पारित किया है वह भी प्रिन्टेड फार्म में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए मैकेनिकल प्रोसेस से तैयार किया गया है। निर्णय दिनांक 24.09.2021 में अपीलांट श्रीमति रूकमणी के पिता श्री भैरूलाल अंकित किया है जो पूर्णतया गलत है क्योंकि अपीलांट रूकमणी के पति का नाम भैरूलाल है ना की पिता का नाम भैरूलाल है। साथ ही पेशी दिनांक 24.09.2021 की भी कोई जानकारी अपीलांट को नहीं दी गई जो नोटिस जारी किया है वो अपीलांट को तामील नहीं हुआ है बल्कि उक्त नोटिस प्रकाश सुथार को दिया गया है जो अपीलांट के शामिल शरीक नहीं रहता है। इस प्रकार अपीलांट पर व्यक्तिशः कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का वर्षों पुराना कब्जा होकर नियमन की पात्रता होते हुए भी बिना कोई सुनवाई एवं पुराने कब्जे को साबित करने का अवसर दिए बगैर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। निर्णय जैर अपील दिनांक 24.09.2021 की सर्वप्रथम सूचना पटवारी हल्का आरणी के द्वारा दिनांक 04.02.2022 को अपीलांट को आकर दी कि उसके विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.09.2021 को हो चुका है जिस पर दिनांक 04.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 07.02.2022 को निर्णय की प्रति प्राप्त हुई। इस कारण सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 07.02.2022 से अपील अन्दर मियाद पेश है फिर भी कानूनी अड़चनों से बचने के लिए धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.09.2021 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2022 (1) आर आर टी 179 हंसाराम बनाम श्रीमति लूंगीबाई व अन्य से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिसके अनुसार कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट श्रीमति रूकमणी देवी को अन्तर्गत धारा 91 के तहत जारी नोटिस उसके पुत्र श्री प्रकाश सुथार को तामील करवाया गया है जिस पर उसके बालिग होने अथवा नहीं होने या अपीलांट के साथ शामिल शरीक रहने संबंधी कोई टिप्पणी अंकित नहीं है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.09.2021 में अतिक्रमी के उपस्थित होकर नाजायज कब्जा स्वीकार करने का अंकन किया हुआ है जबकि आदेशिका दिनांक 24.09.2021 पर अपीलांट श्रीमति रूकमणी देवी के कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है बल्कि श्री भैरूलाल के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2021 में श्री भैरूलाल सुथार को अपीलांट का पिता होना बताया है जबकि अपीलांट ने भैरूलाल उसके पिता नहीं होकर उसका पति होने का कथन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण में अपीलांट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् तरीके से नोटिस तामील नहीं कराया जाना पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.09.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत् नोटिस/सूचना पत्र तामील कराकर उसे साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा सुनवाई का अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)